

“ANNEXURE

For foregoing an actionable claim or enforceable right on a brand name,-

(a) the person undertaking packing of such goods in unit containers which bear a brand name shall file an affidavit to that **effect with the jurisdictional commissioner of Central tax or jurisdictional commissioner of State tax, as the case maybe**, that he is voluntarily foregoing his actionable claim or enforceable right on such brand name as defined in Explanation (ii)(a); and

(b) the person undertaking packing of such goods in unit containers which bears a brand name shall, on each such unit containers, clearly print in indelible ink, both in English and the local language, that in respect of the brand name as defined in Explanation (ii)(a) printed on the unit containers he has foregone his actionable claim or enforceable right voluntarily.”.

[F.No.354/117/2017-TRU Pt-II]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

Note: - The principal notification No.1/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 666(E), dated the 28th June, 2017 and last amended by Notification No. 19/2017-Integrated Tax(Rate) dated 18th August, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number GSR 1033 (E), dated the 18th August, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2017

सं. 28/2017- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 1193 (अ).— एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस परिषद की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 2/2017- एकीकृत कर (दर), तारीख 28 जून, 2017, सा.का. नि. 667(अ), तारीख 28 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -

(क) सूची में,-

- (i) क्रम संख्या 27 के स्तंभ (3) में “उनसे भिन्न, जो यूनिट कंटेनरों में रखे गए हों और जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो” शब्दों के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अक्षर “उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,-
- (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या
- (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिसपर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नामपर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]”, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 29 और 45 के स्तंभ (3) में “उनसे भिन्न, जो यूनिट कंटेनर में रखे गए हों और जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो” शब्दों के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अक्षर “उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,-

- (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या
- (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिसपर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नामपर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो] ", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77 और 78 के स्तंभ (3) में "उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो" शब्दों के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अक्षर "उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,-
- (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या
- (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिसपर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नामपर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो] ", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 101 के स्तंभ (3) में "उनसे भिन्न, जो यूनिट कंटेनर में रखे गए हों और जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो" शब्दों के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अक्षर "उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,-
- (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या
- (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिस पर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नामपर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो] ", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 108 के स्तंभ (3) में "उनसे भिन्न, जो यूनिट कंटेनरों में रखे गए हों और जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो" शब्दों के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अक्षर "उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,-
- (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या
- (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिसपर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नामपर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो] ", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vi) क्रम सं0 102 में, कॉलम (2) में प्रविष्टि "2301,2302,2308,2309", प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (vii) क्रम संख्या 102 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी,-

"102क	2306	कॉटन सीड आयल केक" ;
-------	------	---------------------

(viii) क्रम संख्या 130 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“130क	50 से 55	खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग (केवीआईसी) एवं केवीआईसी द्वारा प्रमाणित संस्थानों/दुकानों, के द्वारा बेचे गए खादी वस्त्र”;
-------	----------	---

(ix) क्रम संख्या 135 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी,:-

“135क	6913	मिट्टी से बनी मूर्तियां” ;
-------	------	----------------------------

(x) क्रम संख्या 138 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, “हाथ से धागा कताई के चरखे, अम्बर चरखा सहित”, प्रतिस्थापित की जायेगी ;

(xi) क्रम संख्या 143 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, “अनुबंध।। में उल्लिखित स्वदेशी हस्तनिर्मित संगीत वाद्ययंत्र”,को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(xii) क्रम संख्या 144 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर “सरकंडे से मोड़े, फूलझाड़ू या झाड़ू, जोकि सीकों या अन्य वनस्पतियों से बने हों, इकट्ठे बांधे गए हों, जिनमें हृत्थे लगे हों या नहीं”,को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ख) स्पष्टीकरण,खंड (ii)में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(ii) (क) वाक्यांश “ब्रांड नाम” का अर्थ ब्रांड नाम या व्यापार का नाम है, जिसका अर्थ है, नाम या चिह्न, जैसे प्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या आविष्कार शब्द या लेखन जिसका उद्देश्य इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट माल के संबंध में उपयोग किया जाता है। या ऐसे व्यक्ति के पहचान के किसी भी संकेत के बिना या ऐसे नाम या चिह्न का उपयोग करने वाले कुछ व्यक्ति के बीच व्यापार के क्रम में एक कनेक्शन को इंगित करने के लिए या ऐसा करने के लिए।

(ख)“पंजीकृत ब्रांड नाम” वाक्यांश का अर्थ है, -

(क) ट्रेड मार्क एक्ट, 1 999 के तहत 15 मई, 2017 को पंजीकृत एक ब्रांड, चाहे ब्रांड को बाद में पंजीकरण रद्द कर दिया गया हो या नहीं।

(ख) कॉपीराइट अधिनियम, 1957(1957 का 14) के तहत 15 मई, 2017 को पंजीकृत एक ब्रांड;

(ग) किसी भी अन्य देश में किसी भी कानून के तहत 15 मई, 2017 को पंजीकृत एक ब्रांड

(ग) अनुच्छेद 2 के बाद, निम्नलिखित अनुबंधकों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“अनुबंध।

किसी ब्रांड नाम पर कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार के परित्याग के लिए

(क) ऐसा व्यक्ति जो कि यूनिट कंटेनर में ऐसे माल की पैकिंग करा रहा हो,जिसे पर ब्रांड नेम छपा हो, यथास्थिति, क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय कर आयुक्त या क्षेत्राधिकार प्राप्त राज्य कर आयुक्त के समक्ष, इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह स्पष्टीकरण(ii) (क) में यथापरिभाषित ऐसे ब्रांड नाम पर अपने कार्रवाई योग्य दावे या अपरिवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर रहा है।

(ख) ऐसा व्यक्ति जो कि किसी यूनिट कंटेनरों में ऐसे माल की पैकिंग करा रहा हो ,जिस पर, प्रत्येक यूनिट कंटेनर पर ब्रांड नाम छपा हो, अंग्रेजी और स्थानीय दोनों ही भाषाओं में अमिट स्याही में यह मुद्रित कराएगा कि ऐसे यूनिट कंटेनर पर मुद्रित स्पष्टीकरण (ii) (क) में यथापरिभाषित ब्रांड नाम के संबंध में उसने कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया है।

अनुबंध II

स्वदेशी हस्तनिर्मित संगीत वाद्ययंत्रों की सूची

1.	बुलबुल तरंग
2.	दोतार, दोतोरा या दोतारा
3.	एकतारा
4.	गटचू वाद्य या झालारी
5.	गोपीचंद या गोपीयंत्र या खामक
6.	गोत्तुधम या चित्रात्रिना
7.	काथो
8.	सरोद
9.	सितार
10.	सुरबहार
11.	सुरसिंगार
12.	सुराबात
13.	स्वरमंडल
14.	तंबूरा
15.	तुंबी
16.	तुनतुना
17.	मगाध्री वीणा
18.	हंसवा वीणा
19.	मोहन वीणा
20.	नकुल वीणा
21.	नन्दुनी
22.	रूद्रा वीणा
23.	सरस्वती वीणा
24.	विचित्रा वीणा
25.	येज
26.	रंजन वीणा
27.	त्रिवेणी वीणा
28.	चिकारा
29.	दिलरूबा
30.	एकतारा वायलीन
31.	इसराज
32.	कमायिचा
33.	मयरी वीणा या टाउस
34.	ओनाविलू
35.	बहेला (वाइलिन टाइप)
36.	पीना और बाना
37.	पलुवनवीना-एक तार वाले वायलिन
38.	रावनाहाथा

39.	लोक सारंगी
40.	शास्त्रीय सारंगी
41.	सारींडा
42.	तार शहनाई
43.	गीथू या झल्लारी
44.	गब्रूबा या जामुकु-पकर्यूशन स्टिंग इंस्ट्रूमेंट
45.	पुल्लुवन्तकुतम
46.	संतूर-हम्मार्ड कॉर्ड बॉक्स
47.	पेपा
48.	पुगी या बीन
49.	भारतीय हारमोनियम डबल रीड
50.	खुजाल
51.	नाडास्वरम
52.	शहनाई
53.	सुंदरी
54.	तंगमुरी
55.	अल्गोजा डबल बांसुरी
56.	बांसुरी
57.	वेणु (क्रनाटिक बांसुरी) पुलंगाञ्जल
58.	मसक
59.	तिती
60.	सिश्रुतूपंगा
61.	गोगोना
62.	मोर्सिंग
63.	श्रुति बॉक्स
64.	हारमोनियम हाथ से पंप
65.	इकालम
66.	करनाल
67.	रामसिंगा
68.	काहल
69.	नागफनी
70.	तूरी
71.	डाड
72.	डामरू
73.	डिमाडी
74.	ढोल
75.	ढोलक
76.	ढोलकी
77.	दुग्गी
78.	घाटिंगहारी या गदसिंगारी

79.	घुमोट
80.	घुमेटा
81.	कंजीरा
82.	खोल
83.	कंपर और धोपर (आदिवासी ड्रम)
84.	माडली
85.	माराम
86.	मिजहवु
87.	मृदगम
88.	पंखावज
89.	पखवाजोज़री - सिख के टबल के समान साधन
90.	पंजामुखावाद्यम
91.	पुंग
92.	शुधमदलम या मददलम्
93.	तबला / टेबल / चैमली - गॉलेट ड्रम
94.	तबला
95.	तलबतरंग - तालाओं का समूह
96.	तामुट
97.	थानुथीपानई
98.	थिमुला
99.	तंबाकू, तंबकनारी, तंबकनेर
100.	डफ, डफ, डीएएफ या डूफडीमडी या डिम्प्री-जिंगल के बिना छोटा फ्रेम ड्रम
101.	कांजीरा - एक जिंगल के साथ छोटा फ्रेम ड्रम
102.	कांची - जिंगल के बिना छोटा
103.	पट्टनितप्पा - हाथों से खेला जाने वाला मध्यम फ्रेम ड्रम
104.	चेन्दा
105.	ढोलु
106.	धक
107.	ढोल
108.	ढोली
109.	इडाका
110.	थाविल
111.	उडुकई
112.	चंडे
113.	नागारा - केटस्लेड्रम्स की जोड़ी
114.	पम्बाई - दो बेलनाकार ड्रम की इकाई
115.	पैरातिप्पु, हल्ली - फ्रेम ड्रम दो स्टिक्स के साथ खेला
116.	संबल
117.	स्टिक डफ या स्टिक डफ - लाठी के साथ खेला जाने वाला स्टैंड में डेफ
118.	तमक

119.	ताशा - केटस्लेडूम का प्रकार
120.	उर्मि
121.	जलातरंग चिम्पत्ता - पीतल के जिंगल के साथ आग टोंग
122.	चेंगिल - धातु डिस्क
123.	इलाथलम
124.	गेजर - ब्रास पोत
125.	घटक और मटकाम (मिट्टी के बरतन बर्तन ड्रम)
126.	घुंघरू
127.	खारट या चिप्पला
128.	मनजीरा या झंज या ताल
129.	अखरोट - मिट्टी के बर्तन
130.	संकरजांग - लिथोफोन
131.	थाली - धातु प्लेट
132.	थाकुकाजामनाई
133.	कंचारांग, कांच के एक प्रकार
134.	कथाततरंग, एक प्रकार का जेलोफोन

[फा सं.354/117/2017-टीआरयू-भाग II]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना सं. 2/2017- एकीकृत कर (दर), तारीख 28 जून, 2017, सा.का.नि. 667 (अ) तारीख 28 जून, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2017

No.28/2017-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 1193(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Goods and Services Tax Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.2/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 667(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification,-

(B) in the Schedule,-

(i) against serial number 27, in column (3), for the words “other than put up in unit containers and bearing a registered brand name”, the words, brackets and letters “other than those put up in unit container and,-

(a) bearing a registered brand name; or

(b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily, subject to the conditions as in the ANNEXURE I]”, shall be substituted;

(ii) against serial numbers 29 and 45, in column (3), for the words “other than put up in unit container and bearing a registered brand name”, the words, brackets and letters “other than those put up in unit container and,-

(a) bearing a registered brand name; or

(b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily, subject to the conditions as in the ANNEXURE I]”, shall be substituted;

(iii) against serial numbers 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77 and 78, in column (3), for the words “other than those put up in unit container and bearing a registered brand name”, the words, brackets and letters “other than those put up in unit container and,-

(a) bearing a registered brand name; or

(b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily, subject to the conditions as in the ANNEXURE I]”, shall be substituted;

(iv) against serial number 101, in column (3), for the words “other than put up in unit container and bearing a registered brand name”, the words, brackets and letters “other than those put up in unit container and,-

(a) bearing a registered brand name; or

(b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily, subject to the conditions as in the ANNEXURE I]”, shall be substituted;

(v) against serial number 108, in column (3), for the words “other than put up in unit containers and bearing a registered brand name”, the words, brackets and letters “other than those put up in unit container and,-

(a) bearing a registered brand name; or

(b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily, subject to the conditions as in the ANNEXURE I]”, shall be substituted;

(vi) in S. No. 102, for the entries in column (2) ,the entries “2301,2302, 2308, 2309”, shall be substituted;

(vii) after S. No. 102 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“102A	2306	Cotton seed oil cake” ;
-------	------	-------------------------

(viii) after S. No. 130 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“130A	50 to 55	Khadi fabric, sold through Khadi and Village Industries Commission(KVIC) and KVIC certified institutions/outlets” ;
-------	----------	---

(ix) after S. No. 135 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“135A	69	Idols made of clay” ;
-------	----	-----------------------

(x) in S. No. 138, for the entry in column (3) ,the entry “Charkha for hand spinning of yarns, including amber charkha”, shall be substituted;

(xi) in S. No. 143, for the entry in column (3), the entry “Indigenous handmade musical instruments as listed in ANNEXURE II”, shall be substituted;

(xii) in S. No. 144, for the entry in column (3), the entry “Muddhas made of sarkanda, Brooms or brushes, consisting of twigs or other vegetable materials, bound together, with or without handles”, shall be substituted;

(B) in the *Explanation*, for clause (ii), the following shall be substituted, namely: -

“(ii)(a) The phrase “brand name” means brand name or trade name, that is to say, a name or a mark, such as symbol, monogram, label, signature or invented word or writing which is used in relation to such specified goods for the purpose of indicating, or so as to indicate a connection in the course of trade between such specified goods and some person using such name or mark with or without any indication of the identity of that person.

(b) The phrase “registered brand name” means,-

(A) a brand registered as on the 15th May 2017 under the Trade Marks Act, 1999 irrespective of whether or not the brand is subsequently deregistered;

(B) a brand registered as on the 15th May 2017 under the Copyright Act, 1957(14 of 1957);

(C) a brand registered as on the 15th May 2017 under any law for the time being in force in any other country.”;

(C) after paragraph 2, the following Annexures shall be inserted, namely: -

“ANNEXURE I

For foregoing an actionable claim or enforceable right on a brand name,-

(a) the person undertaking packing of such goods in unit containers which bears a brand name shall file an affidavit to that effect with the **jurisdictional commissioner of Central tax or jurisdictional commissioner of State tax, as the case maybe**, that he is voluntarily foregoing his actionable claim or enforceable right on such brand name as defined in Explanation (ii)(a); and

(b) the person undertaking packing of such goods in unit containers which bear a brand name shall, on each such unit containers, clearly print in indelible ink, both in English and the local language, that in respect of the brand name as defined in Explanation (ii)(a) printed on the unit containers he has foregone his actionable claim or enforceable right voluntarily.

ANNEXURE II

List of indigenous handmade musical instruments

1.	Bulbul Tarang
2.	Dotar, Dotor, or Dotara
3.	Ektara
4.	Getchu Vadyam or Jhallari
5.	Gopichand or Gopiyatra or Khamak
6.	Gottuvadhyam or Chitravina
7.	Katho
8.	Sarod
9.	Sitar
10.	Surbahar
11.	Surshringar
12.	Swarabat
13.	Swarmandal
14.	Tambura
15.	Tumbi
16.	Tuntuna
17.	Magadi Veena
18.	Hansaveena
19.	Mohan Veena

20.	Nakula Veena
21.	Nanduni
22.	Rudra Veena
23.	Saraswati Veena
24.	Vichitra Veena
25.	Yazh
26.	Ranjan Veena
27.	Triveni Veena
28.	Chikara
29.	Dilruba
30.	Ektara violin
31.	Esraj
32.	Kamaicha
33.	Mayuri Vina or Taus
34.	Onavillu
35.	Behala(violin type)
36.	Pena or Bana
37.	Pulluvan veena - one stringed violin
38.	Ravanahatha
39.	Folk Sarangi
40.	Classical Sarangi
41.	Sarinda
42.	Tar Shehnai
43.	Gethu or Jhallari
44.	Gubguba or Jamuku - Percussion string instrument
45.	Pulluvan kutam
46.	Santoor - Hammered chord box
47.	Pepa
48.	Pungi or Been
49.	Indian Harmonium: Double reed
50.	Kuzhal
51.	Nadaswaram
52.	Shehnai
53.	Sundari
54.	Tangmuri
55.	Alghoza - double flute
56.	Bansuri
57.	Venu (Carnatic flute) Pullanguzhal
58.	Mashak
59.	Titti
60.	Sruti upanga
61.	Gogona
62.	Morsing
63.	Shruti box
64.	Harmonium (hand-pumped)
65.	Ekkalam
66.	Karnal
67.	Ramsinga
68.	Kahal
69.	Nagphani
70.	Turi
71.	Dhad

72.	Damru
73.	Dimadi
74.	Dhol
75.	Dholak
76.	Dholki
77.	Duggi
78.	Ghat singhari or gada singari
79.	Ghumot
80.	Gummeta
81.	Kanjira
82.	Khol
83.	Kinpar and Dhobar (tribal drums)
84.	Maddale
85.	Maram
86.	Mizhavu
87.	Mridangam
88.	Pakhavaj
89.	Pakhavaj jori - Sikh instrument similar to tabla
90.	Panchamukha vadyam
91.	Pung
92.	Shuddha madalam or Maddalam
93.	Tabala / tabl / chameli - goblet drum
94.	Tabla
95.	Tabla tarang - set of tablas
96.	Tamte
97.	Thanthi Panai
98.	Thimila
99.	Tumbak, tumbaknari, tumbaknaer
100.	Daff, duff, daf or duf Dimdi or dimri - small frame drum without jingles
101.	Kanjira - small frame drum with one jingle
102.	Kansi - small without jingles
103.	Patayani thappu - medium frame drum played with hands
104.	Chenda
105.	Dollu
106.	Dhak
107.	Dhol
108.	Dholi
109.	Idakka
110.	Thavil
111.	Udukai
112.	Chande
113.	Nagara - pair of kettledrums
114.	Pambai - unit of two cylindrical drums
115.	Parai thappu, halgi - frame drum played with two sticks
116.	Sambal
117.	Stick daff or stick duff - daff in a stand played with sticks
118.	Tamak'
119.	Tasha - type of kettledrum
120.	Urume
121.	JaltarangChimpta - fire tong with brass jingles
122.	Chengila - metal disc
123.	Elathalam

124.	Geger - brass vessel
125.	Ghatam and Matkam (Earthenware pot drum)
126.	Ghungroo
127.	Khartal or Chiplaya
128.	Manjeera or jhanj or taal
129.	Nut - clay pot
130.	Sankarjang - lithophone
131.	Thali - metal plate
132.	Thattukazhi mannai
133.	Kanch tarang, a type of glass harp
134.	Kashtha tarang, a type of xylophone.”.

[F.No.354/117/2017-TRU Pt-II]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

Note: - The principal notification No.2/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 667(E), dated the 28th June, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2017

सं. 29/2017- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 1194(अ).— एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 54 की उपधारा (3) के परंतुक के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 5/2017, एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून 2017, जिसे सा.का.नि. 670 (अ), दिनांक 28 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 6 और उससे संबंधित प्रविष्टि में निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“6A	5801	कॉरडरॉय कपड़े”.
-----	------	-----------------

[फा. सं. 354/117/2017-टीआरयू- भाग II]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 5/2017- एकीकृत कर (दर), तारीख 28 जून, 2017, सा.का.नि. 670(अ), तारीख 28 जून, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग -II, खंड -3, उपखंड (i) में, प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2017

No.29/2017-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 1194 (E).— In exercise of the powers conferred by clause (ii) of the proviso to sub-section (3) of section 54 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.5/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 670(E), dated the 28th June, 2017, namely:—